



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर

Office of Project Director Project Implementation Unit, Bilaspur

डी.-61, एच.आई.जी.- 1, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)

D-61, HIG-I, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.)

दूरभाष : 07752-291604, Phone : 07752-291604 Email : piubilaspur@nhai.org, nhaibilaspur@gmail.com, Web : www.nhai.gov.in



13013 / 3 / 2023 / प.नि.-बिला. / बिला.-पथ. / फॉरेस्ट / 10326

दिनांक:08.02.2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,

वनमण्डल बिलासपुर,

जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- Diversion of 24.585 ha of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4 Lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur Katghora Section of NH-111 (New 130) in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh.

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक/तक./453, बिलासपुर, दिनांक 23.01.2023

2. आपका पत्र क्रमांक/तक./455, बिलासपुर, दिनांक 23.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र. (1) माध्यम से आपके द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. 25 में उल्लेखित एवं पत्र क्र. (2) के माध्यम से अधिरोपित शर्त क्र. 15 में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन हेतु इस कार्यालय को लेख किया गया है। आपके पत्र के परिपेक्ष्य में भा.रा.रा.प्रा. से संबंधित बिन्दु का अभिमत निम्नानुसार है :-

क्र.	आपत्ति का विवरण	भा.रा.रा.प्रा. का अभिमत
1	2	3
1.	भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र. 1 में अधिरोपित शर्त क्र. 7 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 में दिये गये निर्देशों/प्रावधानों के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का विस्तृत विवरण देते हुए Penal NPV प्राप्त किया जाना है किंतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से प्रेषित पालन प्रतिवेदन के बिंदु क्र. 7 में केवल आवेदक संस्थान से वचन पत्र लिया जाकर प्रेषित किया गया है। कृपया भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र. 1 में अधिरोपित उपरोक्त शर्त क्र. 7 में दिये गये निर्देशों के पालन में FCA Voilation हेतु दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही कर विस्तृत विवरण देने का कष्ट करें।	The earlier submission of NHAI vide letter 4454 dated 27.09.2019, on the subject matter (enclosed herewith) May be perused. It is further submitted that there is no violation from NHAI.
2	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. 15 में प्रथम चरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन के साथ Soil conservation plan की प्रति चाही गई है किंतु आवेदक संस्थान द्वारा प्रदायित	The earlier submission of User Agency letter no 4454 dated 27.09.2019 may please refer. (Copy attached). Further, it is to note that soil used for embankment

D:/Documents-Data-Letter Files

[स्वच्छ रहें भारत, स्वच्छ रहें हम]

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075, दूरभाष : 011-25074100 / 200

H.Q. : G-5&6, Sector-10 Dwarka, New Delhi-110075, Tele. : 011-25074100/200

<p>वचन पत्र में मृदा संरक्षण योजना की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है। कृपया शर्त क्र. 15 के पालन हेतु Soil conservation plan की प्रति प्राप्त कर प्रेषित करें।</p>	<p>and other road construction activities is carrying from approved borrow area outside ROW. The embankment slopes are protected with either grass turfing/geocell/stone pitching etc. Similarly cross drainage structures are protected by boulder apron at abutment slope and flooring. More over there is side drains on either edges of road for smooth drain out of surface water.</p> <p>It is therefore, and in line with our earlier submission intimated that no specific soil conservation plan is required in the instant case, due to stated reason.</p>
<p>3 भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. 23 में उल्लेख है कि Reclamation plan बनाया जाकर उसकी एक प्रति भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर भेजने के निर्देश दिये गये हैं किंतु आवेदक संस्थान द्वारा केवल वचन पत्र प्रदाय किया गया है। कृपया शर्त क्र. 23 के पालन हेतु Reclamation plan की प्रति प्राप्त कर प्रेषित करें।</p>	<p>The existing Forest area falls under the category of Revenue Forest. Prior to diversion of the said forest land and realignment under new 4 lane road, the old existing carriageway was passing through villages namely Turkadih, Sambalpur, Belmundi, saida, Melnadih & Ratanapur etc.</p> <p>Even after operation of new 4 lane divided carriageways, the earlier existing roads at these corresponding bypass locations are being used by local villagers, for their day today purposes using it to reach their cultivated land, children to go to school and civic works. The sarpanch/Mukhia of those Gram panchayats has appealed this office to retain these roads without demolishing for continual use of public/villagers (copy of letters attached).</p> <p>It is therefore in the interest of local villagers these roads may be retained and accordingly no reclamation plan for planting suitable species is required.</p>
<p>4 भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. 25 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुक्रम में चाही गई अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर से प्राप्त नहीं की गई है। कृपया उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करें।</p>	<p>Copy of FRA enclosed earlier in the stage-1 submission, is resubmitted again.</p>

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

सधन्यवाद।

भवदीय

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


परियोजना निदेशक,
प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

1. अ.प्र.व.सं. (भू-प्रबंध/व.सं.अ) अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19 नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य वनसंरक्षक, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Handwritten signature

**कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बिलासपुर (छ.ग.)**

ज्ञापन

क्रमांक /1376/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2023
प्रति,

बिलासपुर दिनांक 02.02.2023

- कलेक्टर महोदय,
बिलासपुर (छ.ग.)
- विषय :- बिलासपुर-पथरापाली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130 के अंतर्गत पुराने रोड़ का उपयोग/अनुपयोग के संबंध में।
- संदर्भ :-1. परियोजना निदेशक भा.रा.रा.प.का.ई.बिलासपुर का पत्र क्र. 10275 बिलासपुर दिनांक 25.01.2022
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्र. 4979 दिनांक 14.02.2019

—00—

वर्तमान में परियोजना निदेशक भा0रा0रा0प0 बिलासपुर द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि पेण्ड्रीडीह से पथरापाली कि.मी. 0.000 से कि.मी. 53.300 के मध्य कुछ स्थानों पर पुरानी सड़क का कुछ भाग को छोड़कर रोड़ निर्माण का कार्य किया गया है, जिसमें ग्राम तुर्काडीह, संबलपुरी, बेलमुण्डी, सैदा तहसील सकरी एवं तहसील रतनपुर के अंतर्गत प्रभावित ग्राम मेलनाडीह एवं रतनपुर है। संबंधित ग्राम के सरपंचों/पार्षद तुर्काडीह, संबलपुरी, बेलमुण्डी, सैदा, मेलनाडीह एवं रतनपुर के द्वारा अवगत कराया गया है कि पुरानी सड़कों से ग्रामवासियों का आगमन होता है तथा वे उक्त सड़क से अपने खेत तक पहुंचने का उपयोग करते हैं तथा स्कूली बच्चों का आगमन उसी पुराने सड़क से होने के कारण उसे यथावत् रखे जाने हेतु मांग की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

बिलासपुर-कटघोरा सड़क परियोजना के लिए स्टेज 01 की स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्र. 4979 दिनांक 14.02.2019 की शर्त क्र. 23 के अनुसार वन क्षेत्र में पुराने रोड़ के भाग को तोड़कर राज्य वन विभाग को सौंपी जायेगी। जिसमें उपयुक्त प्रजातियों के पेड़ लगाकर एवं वन विभाग द्वारा सुधार योजना तैयार की जायेगी। (छायाप्रति संलग्न)

लोकहित एवं प्रचलित लोक प्रयोजन के आवागमन को सुचारू बनाए रखने हेतु ग्राम तुर्काडीह, संबलपुरी, बेलमुण्डी, सैदा तहसील सकरी एवं तहसील रतनपुर के अंतर्गत प्रभावित ग्राम मेलनाडीह एवं रतनपुर स्कूली बच्चों का आगमन उसी पुराने सड़क से होने के कारण उसे यथावत् रखा जाना उचित होगा।

उक्त के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश पुरानी सड़क यथावत् रखने हेतु प्रसारित करना चाहेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक /1377/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2023

बिलासपुर दिनांक 02.02.2023

प्रतिलिपि :- परियोजना निदेशक भा.रा.रा.प.का.ई.बिलासपुर को उनके पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बिलासपुर (छ.ग.)



कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

[OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082]

[e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com]

क्रमांक/तक./... 155

बिलासपुर, दिनांक 23/01/23

प्रति,

परियोजना निदेशक,
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई बिलासपुर
डी-61 एच.आई.जी.-1 अभिलाषा परिसर
नया बस स्टैण्ड के पीछे तिफरा बिलासपुर (छ0ग0)

- विषय :- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4-lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh.
- संदर्भ:- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, का पत्र क्र./एफ 5-31/2018/10-2 दिनांक 04/01/2023

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बिलासपुर-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग 111 अंतर्गत प्रभावित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोजना हेतु वन प्रकरण के अंतिम चरण की स्वीकृति शासन स्तर पर विचाराधीन है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क. 15 में उल्लेख है कि प्रथम चरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन के साथ Soil conservation plan की प्रति चाही गई है किंतु आवेदक संस्थान द्वारा प्रदायिक वचन पत्र में मृदा संरक्षण योजना की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है। कृपया शर्त क. 15 के पालन हेतु Soil conservation plan की प्रति प्राप्त कर प्रेषित करें।

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क. 23 में उल्लेख है कि Reclamation plan बनाया जाकर उसकी एक प्रति भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर भेजने के निर्देश दिये गये हैं किंतु आवेदक संस्थान द्वारा केवल वचन पत्र प्रदाय किया गया है। कृपया शर्त क. 23 के पालन हेतु Reclamation plan की प्रति प्राप्त कर भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर को प्रेषित करने हेतु इस विभाग को प्रेषित करें।

उक्त दोनों अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र:- शून्य

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

[OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082]
[e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com]

क्रमांक/तक./ 453

बिलासपुर, दिनांक 23/01/23

प्रति,

परियोजना निदेशक,
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई बिलासपुर
डी-61 एच.आई.जी.-1 अभिलाषा परिसर
नया बस स्टैण्ड के पीछे तिफरा बिलासपुर (छ0ग0)

विषय :- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4-lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh.

संदर्भ:- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, का पत्र क्र./एफ 5-31/2018/10-2 दिनांक 04/01/2023

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बिलासपुर-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग 111 अंतर्गत प्रभावित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोजना हेतु वन प्ररकण के अंतिम चरण की स्वीकृति शासन स्तर पर विचाराधीन है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त क. 25 में उल्लेख है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुक्रम में चाहे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर बिलासपुर से प्राप्त नहीं किया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित किया जावे।

अतएव आप कलेक्टर बिलासपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र:- शून्य

पृ.क्र./तक./ 454

प्रतिलिपि :-

कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 23/01/23

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority Of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बिलासपुर
Office of Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur
सी-61, एच.आई.जी.-1, अभिलाषा परिसर, पचा बस स्टैंड के पीछे बिल्डा, बिलासपुर (छ.ग.)
D-61, HIG-1, Abhilasha Parasr, Behind Hitech Bus Stand, Tira, Bilaspur (C.G.) 480001

दूरभाष : 07752-291604
Phone : 07752-291604
Email : piubilaspur@nhai.org
Email : picbilaspur@gmail.com
Web : www.nhai.gov.in



भारतमाला
एक ही धे पथ पर आता

13013/3/2019/प.नि.-बिला./बिला.-पथ./फॉरेस्ट/4454
प्रति.

दिनांक:27.09.2019

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल बिलासपुर,
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:-4-Laning of Bilaspur to Patharapali from Km. 0+000 to Km 53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the state of Chattisgarh under Hybrid Annuity Mode Diversion of Forest land in the Bilaspur Forest Division for Rehabilitation and Upgrading to 4-lane with paved shoulder configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of C.G.-Request for demand Note- Reg.

संदर्भ:-अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/वं.स.अ.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्र. 2204, दिनांक 04.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/वं.स.अ.) छत्तीसगढ़ द्वारा निम्न बिन्दुओं पर पुनरीक्षित पालन प्रतिवेदन चाही गई है-

S. No.	Conditions	Undertaking/Compliance
1	2	3
Vii	State Government shall take appropriate action against the violation as per the provisions of MoEF&CC's guidelines dated 29.01.2018 and penal NPV shall be charged accordingly. A details report in this regard shall be submitted along with the compliance report	टीप- अद्यतन स्थिति में प्रतिवेदन दे कि प्रकरण में वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है या नहीं ? यदि हुआ है तो गाईड लाईन दिनांक 29.01.2018 के अनुसार एन.व्ही.पी.पेनाल्टी का वनमंडलधिकारी से डिमांड नोट जारी करावें। यदि नहीं हुआ हो तो तदाशय की पुष्टि वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त की जावें। NHAI Reply:-There is no violation from NHAI because No work is started in Forest diverted area before issuance of Stage-I clearance letter & submission of NPV/CAMPA funds. 2.Work is started in forest area only after tree cutting where tree cutting is done for forest department itself, hence there is no violation from NHAI as well as forest department.
Viii	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	टीप :- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के बिन्दु क्रमांक 07 एफ अनुसार यदि सड़क चौड़ीकरण 20 मीटर से ज्यादा तथा लंबाई 30 कि.मी. से ज्यादा हो तो पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक होगी। इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक क्यों नहीं है इसके बारे में आवेदक संस्था से कोई टीप प्राप्त नहीं है आवेदक संस्थान से औचित्य सहित प्रतिवेदन पत्र प्राप्त किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता क्यों नहीं है ? संबंधित निर्देश/नोटिफिकेशन की प्रति भी संलग्न की जावें। तदुपरांत वनमंडलधिकारी का एवं स्वयं का अभिमत उपलब्ध करावें।



D:\Documents-Data-Letter Files

[स्वच्छ रहें भारत, स्वच्छ रहें हम]

Signature


मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075, दूरभाष : 011-25074100 / 200
H.Q. : G-5&6, Sector-10 Dwarka, New Delhi-110075, Telephone No. : 011-25074100 / 200

		<p>NHAI Reply:-In this regard please take reference of Ministry of Environment & Forest notification no SO 2559(E) dated 22/08/2019 modified principal regulation & Now environment clearance is only required for project with Expansion of national highway greater than 100 km involving additional right of way or land acquisition greater than 40 m on existing alignments and 60 m on realignments or by passes.</p> <p>2. It is very much clear that the project length is only 53.300 Km & ROW is less than 60m hence Environment clearance is not required in subject project.</p> <p>Copy attached as Annexure A.</p>
Xv	The User Agency shall prepared and implement a comprehensive Soil Conservation plan in the forest area being in consultation in the State Forest Department at the project cost. A plan on the same shall be submitted along with the compliance report of the Stage-I approval.	<p>टीप- मृदासंरक्षण योजना की अनुमोदन प्रति प्रेषित करें। यदि मृदा संरक्षण योजना की आवश्यकता नहीं है तो ऐसी स्थिति में औचित्य बताते हुए वनमंडलाधिकारी का अभिमत स्वयं के अभिमत सहित उपलब्ध करावें।</p> <p>NHAI Reply:- All the forest area diverted for purpose of construction of NH & will be utilized for construction of roads. Since no balance area will be left after construction of road , Hence soil conservation plan is not required.</p>
.XXV	The User Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in the project. Bird's nests artificially made out of ecofriendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.	<p>टीप-एवीफौना योजना की अनुमोदित प्रति उपलब्ध करावें।</p> <p>NHAI Reply:- No avifauna affected in project.</p>

अतः आपसे निवेदन है कि अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/ वं.स.अ.) छत्तीसगढ़ द्वारा चाही गई उक्त बिन्दुओं पर पुनरीक्षित पालन प्रतिवेदन के संबंध में आवयक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

परियोजना निदेशक,
प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,
Sub-section(ii)]

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2013

S.O. 2559 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas the Government of India in the Ministry of Environment and Forests had constituted a High Level Committee under the Chairmanship of Member (Environment and Forests and Science and Technology), Planning Commission, vide OM No.21-270/2008-IA.III dated the 11th December, 2012 to review the provisions of Environmental Impact Assessment Notification, 2006 relating to granting Environmental Clearances for Roads, Buildings and Special Economic Zone projects and provisions under the OM dated the 7th February, 2012 issued by the Ministry of Environment and Forests regarding guidelines for High Rise Buildings;

And whereas one of the terms of reference (ToR) of the Committee was to review the requirement of Environmental Clearance for highway expansion projects upto the right of way of 60 meters and length of 200 kms under Environmental Impact Assessment notification;

And whereas the Committee has submitted its report to the Ministry and on this ToR, the Committee has recommended exempting highway expansion projects from the requirement of scoping and that Environmental Impact Assessment or Environment Management Plan for highway expansion projects may be prepared on the basis of model ToRs to be posted on Ministry's website and in respect of requirement of environmental clearance, the Committee has recommended that expansion of National Highway projects up to 100 kms involving additional right of way or land acquisition upto 40 mts on existing alignments and 60 mts on re-alignments or by-passes may be exempted from the preview of the notification;

[Handwritten signature]

And whereas the report of the Committee has been examined in the Ministry of Environment and Forests. Earlier, vide notification S.O.3067(E), dated the 1st December 2009 all State Highway expansion projects, except those in hilly terrain (above 1000 m AMSL) and ecologically sensitive areas, have already been exempted from the purview of the Environmental Impact Assessment notification, 2006.

And whereas, keeping inter-alia in view the foregoing, the Ministry of Environment and Forests has decided to accept the aforesaid recommendations of the High Level Committee constituted vide OM No.21-270/2008-IA.III, dated the 11th December 2012;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5 in public interest, namely:-

2. In the said notification, -

(a) in paragraph 7, in sub-paragraph II, for item (i), the following item shall be substituted, namely:-

(i) "Scoping" refers to the process by which the Expert Appraisal Committee in the case of Category 'A' projects activities, and State level Expert Appraisal Committee in the case of Category 'B1' projects or activities, including applications for expansion or modernization or change in product mix of existing projects or activities, determine detailed and comprehensive Terms of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought and the Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned shall determine the terms of reference on the basis of the information furnished in the prescribed application Form 1 or Form 1A including terms of reference proposed by the applicant, a site visit by a sub-group of Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned only if considered necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, terms of Reference suggested by the applicant if furnished and other information that may be available with the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned:

Provided that the following shall not require Scoping-

(i) all projects and activities listed as Category 'B' in item 8 of the Schedule (Construction or Township or Commercial Complexes or Housing);

ferreira

- (ii) all Highway expansion projects covered under entry (ii) of column (3) and column (4) under sub-item (f) of item 7 of the Schedule:

Provided further that-

- A. the projects and activities referred to in clause (i) shall be appraised on the basis of Form I or Form IA and the conceptual plan;
- B. The projects referred to in clause (ii) shall prepare EIA and EMP report on the basis of model TOR specified by Ministry of Environment and Forests;

(b) in the Schedule, against sub-item (f) of item 7, in column (3), for the entry (ii), the following entry shall be substituted, namely:-

- "(ii) Expansion of National Highways greater than 100 km involving additional right of way or land acquisition greater than 40m on existing alignments and 60m on re-alignments or by-passes."

[F.No. 21-270/2008-IA.III]

Ajay Tyagi
Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012; and
5. S.O.674(E), dated the 13th March, 2013

for



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बिलासपुर
Office of Project Director Project Implementation Unit, Bilaspur



डी.-61, एच.आई.जी.-1, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैंड के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)
D-61, HIG-1, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.)

दूरभाष : 07752-291804, Phone : 07752-291804 Email : piubilaspur@nhai.org, nhaibilaspur@gmail.com, Web : www.nhai.gov.in

14012/1/2023/प.नि.-बिला./बिला.-पथ./भू-अर्जन/10275

दिनांक:25.01.2023

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन),
एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- बिलासपुर-पथरापाली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130 के अंतर्गत पुराने रोड़ का उपयोग/अनुपयोग के संबंध में।

- संदर्भ:-**
1. ग्राम सरपंच तुरकाडीह का पत्र क्र. 118, दिनांक 21.01.2023
 2. ग्राम सरपंच सम्बलपुरी का पत्र क्र. 24, दिनांक 21.01.2023
 3. ग्राम सरपंच बेलमुण्डी का पत्र दिनांक 21.01.2023
 4. ग्राम सरपंच सैंदा का पत्र दिनांक 23.01.2023
 5. ग्राम सरपंच मेलनाडीह का पत्र दिनांक 23.01.2023
 6. श्री संजय कोशले, पार्षद वार्ड क्र. 11, नगर पालिका परिषद रतनपुर का पत्र क्र. 11, दिनांक 23.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा पेण्ड्रीडीह से पथरापाली भा.रा.संख्या 111 (नया 130) के प्रस्तावित कि.मी. 0.000 से कि.मी. 53.300 तक वर्तमान में फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

2. वर्तमान में पेण्ड्रीडीह से पथरापाली कि.मी. 0.000 से कि.मी. 53.300 के मध्य कुछ स्थानों पर पुरानी सड़क का कुछ भाग (ग्राम-तुरकाडीह, सम्बलपुरी, बेलमुण्डी, सैंदा, एवं अनुविभाग कोटा के अंतर्गत प्रभावित ग्राम- मेलनाडीह एवं रतनपुर) को छोड़कर रोड़ निर्माण का कार्य किया गया है।
3. संबंधित ग्रामों के सरपंचो/पार्षद (ग्राम-तुरकाडीह, सम्बलपुरी, बेलमुण्डी, सैंदा, एवं अनुविभाग कोटा के अंतर्गत प्रभावित ग्राम- मेलनाडीह एवं रतनपुर) द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि पुरानी सड़क से ग्रामवासियों का आवागमन किया जाता है, अतः उक्त सड़क को यथावत रखने हेतु लेख किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
4. अतः आपसे निवेदन है कि पुरानी सड़क को ग्रामवार यथावत रखा जा सकता है कि नहीं और क्या पुरानी सड़क से ग्रामवासियों का आवागमन किया जाता है, उक्त संबंध में अपना अभिमत इस कार्यालय को देने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

सधन्यवाद।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


परियोजना निदेशक,
प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

D:\Documents-Data-Letter Files

[स्वच्छ रहें भारत, स्वच्छ रहें हम]

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075, दूरभाष : 011-25074100 / 200
H.Q. : G-5&6, Sector-10 Dwarka, New Delhi-110075, Tele. : 011-25074100/200

कार्यालय ग्राम पंचायत सैदा

जनपद पंचायत तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

श्रीमती सरस्वती बाई गढ़वाल

सरपंच

मोबा. : 9691325431



श्रीमान जागेश्वर प्रसाद यादव

उपसरपंच

मोबा. : 8319347802

पंचगण

- श्रीमती आशा मरावी
- श्रीमती बिमला बाई उइके
- श्रीमती केरा बाई भार्गव
- श्रीमान कृष्णकुमार नेताम
- श्रीमान फागुराम धुव
- श्रीमान अशोक यादव
- श्रीमान अनिल कुमार दुबे
- श्रीमान गिरिश कुमार तिवारी
- श्रीमती ऋचा दुबे
- श्रीमती पुष्पा बाई दुबे
- श्रीमती नशिमा खान
- श्रीमती अंजनी बाई श्रीवास
- श्रीमान राजेश दुबे
- श्रीमती सरिता सूर्यवंशी
- श्रीमती गायत्री बाई सूर्यवंशी
- श्रीमान रवि आनंद सूर्यवंशी
- श्रीमान उत्तम कुमार लास्कर
- श्रीमती लीला बाई केंवट
- श्रीमती गोमती बाई धीवर

क्र.

दिनांक 23/01/2023

प्रति,

परिमोजना निर्देशक

N.M. 130 जिला बिलासपुर

विषय - ग्राम पंचा. सैदा (पांड) N.M. 130 के ऊपर पुराना रोड को नही लोड़ने के संबंध में।

महोदय -

सादर निवेदन है कि ग्राम पंच. सैदा (पांड) में निर्मित N.M. 130 के ऊपर पुराने रोड में आपदा आ जाने के कारण प्रमुख मार्ग है। स्वयं आपने से ले कर पहुंचने का भी मार्ग है। यदि उसे लोड़ा जाता है तो आसानी, किसानों एवं स्कूलों के भी आवागमन अवशुद्ध हो जाएगा। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त पुराने रोड को न लोड़ने का कृपा करें।

(Signature)

सरस्वती बाई
सरपंच

ग्राम पंचायत - सैदा तखतपुर
ज.प. - तखतपुर, जि. - बिलासपुर

23/01/2023

- 1) जे. राम
- 2) सिद्धांत कुमार
- 3) मेहनत राम
- 4) प्रदिपन कुमार
- 5) श्याम लाल

पं

कार्यालय : ग्राम पंचायत तुरकाडीह

जनपद पंचायत - तखतपुर, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

सरपंच - श्री संतोष कुमार पटेल मो. - 62634-50167

पत्र क्रमांक - 118

दिनांक 21/01/2023

प्रति,

परियोजना निर्देशक

NH-130, जिला-बिलासपुर

विषय:- गा.पं.-तुरकाडीह में NH-130 के छपर पुराने रोड को नही लोड़ने के संबंध में।

महोदय,

आदर निर्दिष्ट है कि गा.पं.-तुरकाडीह में निर्मित NH-130 के छपर पुराने रोड में आज भी गामियों के जाने-आने का प्रमुख मार्ग है। स्वयं अपने खेतों तक पहुंचने का भी मार्ग है। यदि इसे लोड़ा जाता है तो गामियों, किसानों, स्कूलों बच्चों का आवागमन अचूक हो जाएगा।

अतः महोदय से निर्दिष्ट है कि उक्त पुराने रोड को ना लोड़ने की कृपा करें।

D.P. Khonde

श्रीशक्ति

लक्ष्मीप्रसाद

कौशल

परदेही

शिवनारायण पटेल

कौशल

Santosh Kumar Patel

सरपंच

ग्राम पंचायत-तुरकाडीह
जनपद पंचायत-तखतपुर

[Signature]

गा.पं. तुरकाडीह

कार्यालय ग्राम पंचायत सम्बलपुरी

जनपद पंचायत तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

सरपंच
राजेश कौशिक



मोबा 9131545568
9826666812

क्र. २५

दिनांक २१-०१-२०२३

* पंच *

- 01 नारायण प्रसाद कौशिक
* *
- 02 श्रीमती गायत्री बाई साहू
* *
- 03 बिजेन्द्र साहू
* *
- 04 दयाशंकर वरत्रकार
* *
- 05 श्रीमती लक्ष्मीन बाई साहू
* *
- 06 अंबिका प्रसाद कौशिक
* *
- 07 सुरेंद्र कुमार सूर्यवंशी
* *
- 08 श्रीमती जमुना बाई सूर्यवंशी
* *
- 09 कृष्ण कुमार सूर्यवंशी
* *
- 10 श्रीमती शशिकला कौशिक
* *
- 11 श्रीमती जानी बाई यादव
* *
- 12 श्रीमती सुशीला गढ़वाल
* *
- 13 श्रीमती रमाबाई सूर्यवंशी
* *
- 14 श्रीमती दुर्गा बाई कौशिक
* *
- 15 श्रीमती वृन्दा देवी सूर्यवंशी

प्रति,


परियोजना निर्देशक
NH- 130 जिला बिलासपुर

विषय - ग्रा. पं. संबलपुरी में NH- 130 के ऊपर पुराने रोड को नही तोड़ने के संबंध में ।

महोदय,

सादर निवेदन है कि ग्रा. पं. संबलपुरी में निर्मित NH- 130 के ऊपर पुराने रोड में आज भी ग्रामीणों के आने जाने का प्रमुख मार्ग है एवं अपने खेतों तक पहुँचने का भी मार्ग है व संबलपुरी से बिलासपुर तक पहुँचने का मुख्य मार्ग है। यदि उसे तोड़ा जाता है तो ग्रामीणों, किसानों, स्कूली बच्चों का आवागमन अवरूद्ध हो जायेगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त पुराने रोड को ना तोड़ने की कृपा करें ।


सरपंच

ग्राम पंचायत सम्बलपुरी
जन.पंचायत तखतपुर

- ① शिवप्रसाद
- ② अकालिका
- ③ राम लाल
- ④
- ⑤ अम साहू
- ⑥ रामकुमार
- ⑦
- ⑧ रामपदम
- ⑨ अर्जुन
- ⑩ के.प.दा
- ⑪
- ⑫ नारायण

सरपंच
ग्राम पंचायत सम्बलपुरी

कार्यालय, ग्राम पंचायत-बेलमुण्डी

रामकुमार कौशिक

मो. 9759007221 8770558474

सरपंच

ग्राम पंचायत - बेलमुण्डी, जनपद पंचायत तखतपुर

क्रमांक

निवास :-

ग्राम-बेलमुण्डी, पो. सकर्रा,

जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक 23-01-23

प्रति

परियोजना निर्देशक

NH-130 जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- ग्राम पंचायत बेलमुण्डी में NH-130 के ऊपर पुराना रोड को नदी तोड़ने के संबंध में।

महोदय -

सादर निवेदन है कि ग्राम पंचायत बेलमुण्डी में निर्मित NH-130 के साइड में बने पुराने रोड को ग्रामीणों द्वारा अपने क्षेत्र एवं घर आने जाने प्रमुख मार्ग है यदि इसे तोड़ा जाता है तो ग्रामीणों की जानों एवं कोलडिपो कोलवाल्सी वाले गाड़ी मोटर टेबु आवागमन में बाधा उत्पन्न हो जायेगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि अन्त पुराने

रोड को ना तोड़ा जाये।

टीप :- पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास -

रामकुमार कौशिक

सरपंच

(Signature)

रामकुमार कौशिक

(Signature)

ग्राम पंचायत बेलमुण्डी
ज.प.तखतपुर, जि.बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय ग्राम पंचायत मेलनाडीह

जनपद पंचायत कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

सदस्य
श्रीमति लक्ष्मीन बाई जगत
मो. 6265205635

प

उपसदस्य
श्री पंचराम खुसरो
मो. 6264763734

दिनांक
29/11/2023

*** पंचगण ***

1. श्रीमति मनियारा बाई नेताम
2. श्रीमति लक्ष्मीन बाई मरावी
3. श्रीमति मीना बाई श्याम
4. श्रीमति रामकली यादव
5. श्री भास्कर राज
6. श्री गोपाल प्रसाद चौह
7. श्रीमति सखती यादव
8. श्रीमति शांती बाई चौह
9. श्री रमेश कुमार चौह
10. श्रीमति शिवकुमारी कोल

पति

परिमोजना निर्देशक

NH - 130 जिला-बिलासपुर

निष्पत्ति - ग्राम पंचायत मेलनाडीह से NH-130 के ऊपर लालाब के मेड़ को नहीं लोडगे के संवर्धन के

महोदय

सर्वर सन्तुष्ट निवेदन है कि हमारे ग्राम

पंचायत मेलनाडीह से निर्मित NH-130 के ऊपर लालाब के मेड़ एवं देवालय और एक अनायास के मेड़ का निर्माण हुआ है। यदि उसे लोड गंगा तो सर्वर एवं देवालय तथा लालाब के मेड़ समाप्त हो जावेगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि

उक्त लालाब के मेड़ को नहीं लोडगे प्रकृष्टको

सचिव

श्री शिव कुमार कश्यप
मो. 8839461147

लक्ष्मीन बाई

मनियाराबाई

रामकली

रामलक्ष्मी यादव

पंचायत मेलनाडीह

गायत्री प्रशान

लक्ष्मीन बाई

उपसदस्य
श्री.पं. मेलनाडीह, ज.पं. कोटा
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

संजय कोशले

पार्षद वार्ड क्र.11
नगर पालिका परिषद् रतनपुर
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)



कार्यालय/निवास : दरौपारा रतनपुर
विकासखण्ड-कोटा
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
मो. - 6266291785

क्र. 11

दिनांक : ...23-01-2023

प्रति

परियोजना निर्देशक
NH-130 जिला बिलासपुर


-विषय- वार्ड क्र. 11 दरौपारा NH-130 के बगल में पुराना रोड को नहीं तोड़ने के संबंध में।

महोदय,

आदर निवेदन है कि बगल जालिख परिषद रतनपुर वार्ड क्र. 11 दरौपारा में निर्मित NH-130 के बगल में पुराने रोड में आज भी गायीण तथा स्कूली बच्चों का आने जाने का यह मात्र पुरख मार्ग है तथा आल-पाल क्षेत्र के लोगों का भी आना जाना लगा रहता है। यदि इसे तोड़ा जाता है तो किसान, आम नागरिकों तथा स्कूली बच्चों का आवागमन अक्ल हो जायेगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि पुराने रोड को नहीं तोड़ा जाये

गाय वाली सदैव आपका आभारी रहेगी



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा बिलासपुर (छ0ग0)

:: ज्ञापन ::

क्रमांक / 1104 / भू0अ0 / स0अ0भू0अ0-6 / 2018
प्रति,

बिलासपुर दिनांक 02 / 06 / 2018

परियोजना निदेशक,
प0का0ई0, बिलासपुर (छ0ग0)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) ग्राम पेण्डी से ग्राम पथरापाली के अंतर्गत प्रभावित राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने बाबत।

संदर्भ :- परियोजना निदेशक, प0का0ई0, बिलासपुर (छ0ग0), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक / 13013 / 3 / 2018 / प.नि.-बिला. / बिला.-कटघोरा / फॉरेस्ट / 1921, दिनांक 15.05.2018.

000

विषयान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) ग्राम पेण्डी से ग्राम पथरापाली के अंतर्गत प्रभावित राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र फार्म-1 में आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

[Signature]
अपर कलेक्टर
बिलासपुर (छ0ग0)

पृ0क्रमांक / 1105 / भू0अ0 / स0अ0भू0अ0-6 / 2018

बिलासपुर दिनांक 02 / 06 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बिलासपुर/कोटा/बिल्हा की ओर सूचनार्थ।



[Signature]
5/6/18

[Signature]
अपर कलेक्टर
बिलासपुर (छ0ग0)

प्रदर्श-“ब”

ग्राम सभा पेन्डरीडीह की बैठक दिनांक 14/04/2018
का कार्यवाही विवरण

ग्राम: पेन्डरीडीह

स्थान: ग्राम पंचायत पेन्डरीडीह दिनांक 14/04/2018

आज दिनांक 14/04/2018 को ग्राम पेन्डरीडीह के सरपंच श्री/श्रीमती तुलसी क्वहेल की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 60 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम पेन्डरीडीह में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु किरीक हे. वन भूमि एवं 2.178 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 2.178 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
—	—	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि किरीक हे. वन भूमि / 2.178 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 2.178 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

संलग्न-ग्राम सभा का विवरण।

Sukha
सरपंच
पेन्डरीडीह

बलिता
मंजुषा, गेडमाल

अरुण
अरुण

हस्ताक्षर
नाम तुलसी क्वहेल
सरपंच
पेन्डरीडीह
सील

ग्राम पंचायत, पेन्डरीडीह
बिलासपुर (छ.ग.)

अरुण
ग्राम पंचायत
पेन्डरीडीह, जिला-छ.ग. 2018

प्रदर्श- "ब"

ग्राम सभा बोड़सरा की बैठक दिनांक 24/04/2018
का कार्यवाही विवरण

ग्राम: बोड़सरा

स्थान:

भारत निर्माण रक्षा
सेवा केन्द्र बोड़सरा

दिनांक 24/04/2018

आज दिनांक 24/04/2018 को ग्राम बोड़सरा के सरपंच श्री/श्रीमती सन्तोष कुमार साहू की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई-

1. ग्राम बोड़सरा में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 2.9779 हे. वन भूमि एवं 2.9779 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 2.9779 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिदृश्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
—	—	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 2.9779 हे. वन भूमि / 2.9779 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 2.9779 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।


सरपंच

इस्ताक्षर 
नाम सन्तोष कुमार साहू
सरपंच
सील

संलग्न-ग्राम सभा का विवरण।

सुरेश कौशिक
रजि. क्र. 12/2018



रजिस्टर-बोडसरा पंचायत के बैठकों की कार्यवाही, स्थान : राजीव सेवा केन्द्र, बोडसरा

जनपद पंचायत तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)



क्र. उपस्थित सरपंच/ एवं पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1 श्री राजनीष कुमार साहू, सरपंच पंचायत -	प्रस्ताव क्र. 02	आज दिनांक 24/04/2018 को श्री सन्तोष कुमार साहू सरपंच ग्राम पंचायत बोडसरा की अध्यक्षता में ग्राम प्रधान बड़सरा की बैठक बुलाई गयी, जिसमें निम्नानुसार कार्यवाही की गयी।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ	उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर कार्यवाही के पंजी में अंगी है।
2 श्री रमेश शिरको, वार्ड-1	राजनीष	उपस्थित सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि बिलासपुर कलेक्टराई बड़सरा राजनीष साहू 111 (नया 130) फोर लैन रोड जोड़कर के अंतर्गत ग्राम-बोडसरा के लैन 37 आगे निकल कर बड़सरा बिलासपुर जिला बिलासपुर जिला रोड न. 1131 डकवा 0.6565 हेक्टर		
3 श्रीमती विमला मानिकपुरी, वार्ड-2	राजनीष	एक डिग्री विद्यालय में अनुमानित 20 लाख रुपये के संबंध में।		
4 श्रीमती सुशीला कौशिक, वार्ड-3	राजनीष			
5 श्रीमती धनाबाई कैवर्त, वार्ड-4	राजनीष			
6 श्रीमती जानकी बाई मानिकपुरी, वार्ड-5	राजनीष			
7 श्रीमती पुनियाबाई मरकाम, वार्ड-6	राजनीष			
8 श्रीमती ठनियाबाई मरवी, वार्ड-7	राजनीष			
9 श्री लक्ष्मण नेताम, वार्ड-8	राजनीष			
10 श्री चंद्रकुमार यादव, वार्ड-9	राजनीष			
11 श्री शिवकलेश कौशिक, वार्ड-10	राजनीष			
12 श्रीमती शैलबाई कौशिक, वार्ड-11	राजनीष			
13 श्री सुरेश कौशिक, वार्ड-12	राजनीष			
14 श्री पुष्पेन्द्र कौशिक, वार्ड-13	राजनीष			
15 श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव, वार्ड-14	राजनीष			
16 श्रीमती कमलेश कौशिक, वार्ड-15	राजनीष			
17 श्री चंद्रिका श्रीवास्त, वार्ड-16	राजनीष			
18 श्रीमती सतरुपा श्रीवास्त, वार्ड-17	राजनीष			
19 श्री कन्हैयालाल शर्मा, वार्ड-18	राजनीष			


 राजनीष
 ग्राम पंचायत बोडसरा



रजिस्टर-बोडिसरा पंचायत के बैठकों की कार्यवाही, स्थान : राजीव सेवा केन्द्र, बोडिसरा

जनपद पंचायत तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.	उपस्थित सरपंच/ एवं पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	उपस्थित के हस्ता
1	2	3	4	5	6
1	श्री सन्तोष कुमार साहू, सरपंच पंचायत -	प्रस्ताव क्र. 03	आज दिनांक 24/04/2018 को श्री सन्तोष कुमार साहू सरपंच ग्राम पंचायत बोडिसरा की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत बोडिसरा की बैठक बुलाई गयी, जिसमें निम्नानुसार कार्यवाही की गयी।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ	उपस्थित के हस्ता कार्यवाही में अं है।
2	श्री रमेश बिरको, वार्ड-1	डाक्टर बिष्ट	उपस्थित उनकी उपस्थिति में		
3	श्रीमती विमला मानिकपुरी, वार्ड-2	डाक्टर भास्करि	निकट स्थित कि विद्यार्थ्यर व्यवहार व्यवस्था		
4	श्रीमती सुशीला कौशिक, वार्ड-3	संख्या 111 (नंदा 130)	शाला में अर्थिक		
5	श्रीमती धनबाई कैवर्त, वार्ड-4	देव कौशिक	शाला में अर्थिक		
6	श्रीमती जानकी बाई मानिकपुरी, वार्ड-5	पंचशाला की	आने वाले दिव अन्डर पास (VUP)		
7	श्रीमती पुनियाबाई मरकाम, वार्ड-6	में अन्डर	जनाजा अर्पित		
8	श्रीमती ठगियाबाई मरावी, वार्ड-7	पास निमार्ण	1. हैलान के पास आने आने का शरणा		
9	श्री लक्ष्मण नेताम, वार्ड-8	है।	2. अनाजा ताब्य आने आने का शरणा		
10	श्री चंद्रकुमार यादव, वार्ड-9				
11	श्री शिवकलेश कौशिक, वार्ड-10				
12	श्रीमती शैलबाई कौशिक, वार्ड-11				
13	श्री सुरेश कौशिक, वार्ड-12				
14	श्री पुष्पेन्द्र कौशिक, वार्ड-13				
15	श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव, वार्ड-14				
16	श्रीमती कमलेश कौशिक, वार्ड-15				
17	श्री चंद्रिका श्रीवास्त, वार्ड-16				
18	श्रीमती सतरुपा श्रीवास्त, वार्ड-17				
19	श्री कन्हैयालाल शर्मा, वार्ड-18				

Handwritten signature and stamp of the official.

Handwritten signature and stamp of the official.

प्रदर्श-“ब”

ग्राम सभा अमसेना की बैठक दिनांक 24/04/2018
का कार्यवाही विवरण

ग्राम: अमसेना

स्थान: पंचायत

दिनांक 24/04/2018

आज दिनांक 24/04/2018 को ग्राम अमसेना के सरपंच श्री/श्रीमती मोक्षी कौशिक की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 75 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम अमसेना में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु क्र. 0.3338 हे. वन भूमि एवं 0.3338 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 0.3338 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
-	-	-	-

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 0.3338 हे. वन भूमि / 0.3338 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.3338 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

(सहस्र)
सरपंच
ग्राम पंचायत - अमसेना
जनपद पंचायत - तखतपुर

(मोक्षी)
हरपंच
ग्राम पंचायत - अमसेना
जनपद पंचायत - तखतपुर

सील

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

- ① चमिका (पंच)
- ② शिव कुमारी कौशिक
- ③ सुवै
- ④ मिलाप कौशिक
- ⑤ केवत वड्डे उपसचिव
- ⑥ राजकुमार

ग्राम सभा बेलमुण्डी की बैठक दिनांक 14/04/2018
का कार्यवाही विवरण

ग्राम: बेलमुण्डी

स्थान: पंचायत गृह

दिनांक 14/04/2018

आज दिनांक 14/04/2018 को ग्राम बेलमुण्डी के सरपंच श्री/श्रीमती राजकुमारी देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम बेलमुण्डी में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु Nil हे. वन भूमि एवं 1.3354 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 1.3354 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.मै)
-	-	-	-

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि Nil हे. वन भूमि / 1.3354 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 1.3354 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

संलग्न कार्य के द्वारा

लेखक

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

शुभ्रित कुमार

उत्पलिका सिन्हा
हरप्रसाद

अन्य

राजकुमारी देवी सरपंच
ग्राम पंचायत बेलमुण्डी
बिलासपुर, जि. बिलासपुर (छ.ग.)
सील

प्रदर्श - "ब"

नगर पंचायत सकरी की बैठक दिनांक 23/04/2018 का कार्यवाही विवरण

ग्राम- नगर पंचायत सकरी
स्थान- सकरी नगर पंचायत सभाकक्ष

दिनांक 23/04/2018

आज दिनांक 23/04/2018 को नगर पंचायत सकरी के अध्यक्ष श्रीमति चंपा दरस पनिक की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में सामान्य सभा के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई-

- 1- नगर पंचायत सकरी में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विलासपुर (छ. ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु निरंक हे. वन भूमि एवं 2.0118 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 2.0118 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
- 2- प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत सामान्य सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
- 3- इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे. मे)
1	सकरी	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से सामान्य सभा में निर्णय लिया गया कि निरंक हे. वन भूमि/2.0118 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 2.0118 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

उपस्थित पार्षदों/एल्डरमेन के हस्ताक्षर

श्रीमति
अध्यक्ष
नगर पंचायत सकरी


- 1- वार्ड क्र. 01
- 2- वार्ड क्र. 02
- 3- वार्ड क्र. 03

श्रीमति चंपा दरस पनिक
अध्यक्ष नगर पंचायत सकरी

- 4- वार्ड क. 04 *3/11/20*
- 5- वार्ड क. 05 *3/11/20*
- 6- वार्ड क. 06 *3/11/20*
- 7- वार्ड क. 07 *3/11/20*
- 8- वार्ड क. 08 *3/11/20*
- 9- वार्ड क. 09 *3/11/20*
- 10- वार्ड क. 10
- 11- वार्ड क. 11 *3/11/20*
- 12- वार्ड क. 12 *3/11/20*
- 13- वार्ड क. 13 *3/11/20*
- 14- वार्ड क. 14 *3/11/20*
- 15- वार्ड क. 15
- 1- एल्डरमेन
- 2- एल्डरमेन
- 3- एल्डरमेन

3/11/20
 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगरपालिका - सक्ती

कार्यालय नगर पंचायत सकरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

क्र	उपस्थित सदस्यों का नाम	विषय	बैठक के कार्यवाही का तत्क्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	हस्ताक्षर
1	श्रीमति प्रभा हरस पनिक (अध्यक्ष)	नगर पंचायत	प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण	सर्व	 
2	श्री मुकुंश तिवारी (उपाध्यक्ष)	सकरी	पर चर्चा की गई।	सम्मति	
3	1- श्रीमती गौरी सुरेश यादव (पार्षद)	सीमांतगत	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग	से	
4	2- श्री अवतार मानिकपुरी (पार्षद)	प्रस्तावित	अंतर्गत नगर पंचायत	पारित।	
5	3- श्री संजय भार्गव (पार्षद)	एनएच-111	सकरी सीमांतगत आ रहे		
6	4- श्री संजय यादव (पार्षद)	(नया)	राजस्य घन भूमि खन		
7	5- श्रीमती सजना प्रदीप पनिक (पार्षद)	एनएच-130)	31/1एम2, 33एम1,		
8	6- श्रीमती पूनम राकेश दुबे (पार्षद)	फोरलैन हेतु	48एम1, 318/1 कुल		
9	7- श्री शत्रुहन मेहर (पार्षद)	प्रस्तावित राजस्व	खसरा 04 कुल रकबा 2		
10	8- श्री मनोज सोनकर (पार्षद)	घनभूमि	0118 हेक्टेयर भूमि		
11	9- श्री रामकिशोर साहू (पार्षद)	व्यपवर्तन के	प्रस्तावित है।		
12	10- श्री आनंद सिंह सिवार (पार्षद)	संबंध में विचार	उक्त भूमि की राष्ट्रीय		
13	11- श्रीमती घांठी राजेश गुप्ता (पार्षद)		राजमार्ग विभाग को		
14	12- श्री सतीश सूर्यवंशी (पार्षद)		व्यवपवर्तन किए जाने पर		
15	14- श्री विनोद भार्गव (पार्षद)		नगर पंचायत सकरी को		
16	15- श्रीमती पूर्णिमा लालकी यादव (पार्षद)		आपत्ति नहीं है।		
17	15- श्री प्रभात साहू (एल्डरमैन)				
18	16- श्रीमति सुरेश नंदनी शर्मा (एल्डरमैन)				
19	17- श्री सागरत यादव (एल्डरमैन)				

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत - सकरी

अध्यक्ष
नगर पंचायत सकरी

ग्राम सभा पांड की बैठक दिनांक 14/04/2018
का कार्यवाही विवरण

ग्राम: पांड

स्थान: ~~ग्राम सभा~~ ~~ग्राम सभा~~

दिनांक 14/04/2018

आज दिनांक 14/04/2018 को ग्राम पांड के सरपंच श्री/श्रीमती ~~सुभाष~~ ~~शर्मा~~ की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 25 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम पांड में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ~~.....~~ हे. वन भूमि एवं 0.6304 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 0.6304 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
	10	25	

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ~~.....~~ हे. वन भूमि / 0.6304 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.6304 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जाये।

~~.....~~
ग्राम सभा के सदस्य
बिलासपुर
सील

संलग्न-ग्राम सभा का विवरण।

ग्राम सभा लोखणडी की बैठक दिनांक 14/04/2018
का कार्यवाही विवरण

ग्राम: लोखणडी
स्थान: पंचायत भवन

दिनांक 14/04/2018

आज दिनांक 14/04/2018 को ग्राम लोखणडी के सरपंच श्री/श्रीमती विश्वनाथ पटेल की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 80 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम लोखणडी में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु निर्दिष्ट हे वन भूमि एवं 0.0983 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 0.0983 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
	—	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि निर्दिष्ट हे. वन भूमि / 0.0983 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.0983 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

अक्षय
सचिव

ग्राम पंचायत लोखणडी
जनपद पंचायत बिलासपुर

विश्वनाथ
सरपंच

ग्राम पंचायत लोखणडी
जनपद बिलासपुर
सील

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

विश्वनाथ
अक्षय
बैदिलाल

कार्यालय ,नगर पालिका परिषद रतनपुर, जिला-बिलासपुर (छ0ग0)

फोन नं. 07753 255832 ई-मेल rporatanpur@gmail.com

क्र./ 117 / रा.शा./न.पा.प./ 2018
प्रति,

रतनपुर दिनांक 5.5.18

समक्ष प्राधिकारी भू-अंजन एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
बिलासपुर (छ0ग0)

विषय :- बिलासपुर-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) हेतु
पेण्ड्रीडीह-पथरापाली तक जिला-बिलासपुर में प्रभावित राजस्व भूमि के
संबंध में।

संदर्भ :- आपका ज्ञापन पत्र क्रमांक/281/अ.वि.अ./भू.अ./2018 बिलासपुर
दिनांक 12.04.2018।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में परियोजना निदेशक, भा.रा.रा.
प्रा. बिलासपुर द्वारा तहसील-कोटा अंतर्गत ग्राम रतनपुर के अंतर्गत बिलासपुर-कटघोरा
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) हेतु पेण्ड्रीडीह-पथरापाली तक जिला-बिलासपुर में
प्रभावित राजस्व वनभूमि नगर पालिका रतनपुर के क्षेत्र में है।

अतः नियमानुसार उक्त बिलासपुर-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया
130) का निर्माण कराये जाने पर नगर पालिका रतनपुर को आपत्ति नहीं है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद रतनपुर
रतनपुर दिनांक 5.5.18

क्र./ 118 / रा.शा./न.पा.प./ 2018
तिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय, बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. परियोजना निदेशक, भा.रा.रा.प्रा. बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद रतनपुर

ग्राम सभा मेलनाडीह की बैठक दिनांक 17/04/2018
का कार्यवाही विवरण

प्रदर्श- "ब"

ग्राम: मेलनाडीह
स्थान: पंचायत अवन

दिनांक 17/04/2018

आज दिनांक 17/04/2018 को ग्राम मेलनाडीह के सरपंच श्री/श्रीमती कु. शशि की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 60 सदस्य 60 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम मेलनाडीह में आवेदक **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.)** ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु निरंक हे. वन भूमि एवं 1:5128 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 1:5128 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि निरंक हे. वन भूमि / 1:5128 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 1:5128 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.)** को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जाये।

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

श्रीमती अश्विनी मेडवती

मीना
जदशुभसि-मवाली
रुडडीवाई
आरत लाल

हस्ताक्षर

नाम.....

सरपंच.....

सील

कु. शशि
द. मेलनाडीह (खुटाण्ट)
आर. जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

बसु
सचिव
ग्राम पंचायत मेलनाडीह
जनपद पंचायत कोटा

कार्यालय ग्राम पंचायत भैलनाडीह, जनपद पंचायत कोटा, जिला - बितासपुर (छ.ग.)

प्रस्ताव नकल

शैक दिनांक ...17-04-2018

दिनांक ...17-04-20

क्र.	उपस्थित सदस्यों का नाम	विषय	शैक की संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव जो पास हुये	हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	कु. शाहदा गड़ेवाल (सरपंच)	प्र.क्रं. - 18	शासन के निर्देशानुसार आज दिनांक-17-04-18 को ग्राम स्था का आयोजन ग्राम पंच भैलनाडीह में रखा गया जिसकी अध्यक्षता सरपंच कु. शाहदा गड़ेवाल द्वारा किया गया। जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 111 (नया-130) पैन्ड्रीडिह से पंचसपाकी के कि.मि.0-0.000 से कि.मि.0.534700 तक प्रस्तावित चार लेन सड़क के निर्माण हेतु ग्राम-भैलनाडीह पंच.सं.0-41 में आदिग्रहित राजस्व वन भूमि (खसरा) नं.0-163 रकबा-0.122 हे. ख.नं.0-162 रकबा-0.8914 हे, खसरा नं.0-160/1 रकबा-0.097 हे, ख.नं.0-154, 155 रकबा-0.3488 तथा ख.नं.0-63 रकबा-0.0176 कुल रकबा-1.5128 हे राजस्व भूमि अधिग्रहण की जाती है।	सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित	अधिकांश एवं हस्ताक्षर कार्यवाही की गई है और अंकित है
2.	श्रीमती बबीता गोंड (उपसरपंच)	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 111 (नया-130) हेतु पैन्ड्रीडिह - पंचसपाकी कि.मि.0-0.000 से कि.मि.0-53.7100 तक जिला-बितासपुर में प्रस्तावित राजस्व वन भूमि के अर्जन के साक्ष्य में वन अधिकार पट्टा नती दिया गया है के सूचना में।	उपरोक्त राजस्व वन भूमि में वन अधिकार आदि निष्पत्ति के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक रूप में किसी प्रकार का पट्टा जारी नहीं किया गया है। और ना ही किसी प्रकार की कोई आपत्ति है।		
3.	श्रीमति लक्ष्मण बार्ड मराठी (पंच)				
4.	श्रीमति हीराबाई मराठी (पंच)				
5.	श्रीमति संतोषी बार्ड गोंड (पंच)				
6.	श्री राजकुमार गोंड (पंच)				
7.	श्रीमति नीना कोल (पंच)				
8.	श्रीमति छोटकी बार्ड (पंच)				
9.	श्रीमति नायश्री प्रधान (पंच)				
10.	श्रीमति लक्ष्मणी यादव (पंच)				
11.	श्री मनीराम जगत (पंच)				
12.	श्रीमती त्रिवेणी खुसरो (पंच)				


कु. शाहदा गड़ेवाल
 सरपंच
 ग्राम पंचायत भैलनाडीह
 जनपद पंचायत कोटा

ग्राम सभाकरा..... की बैठक दिनांक 16/04/2018
का कार्यवाही विवरण

प्रदर्श-“ब”

ग्राम:करा.....
स्थान:करा.....

दिनांक 16/04/2018

आज दिनांक 16/04/2018 को ग्रामकरा..... के सरपंच श्री/श्रीमती शत्रुघ्न निवाड की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 63 सदस्य 70% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्रामकरा..... में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु NIL हे वन भूमि एवं 42.7039 हे राजस्व वन भूमि, कुल 42.7039 हे वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.मे)
			<u>NIL</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि NIL हे वन भूमि / 42.7039 हे राजस्व वन भूमि, कुल योग 42.7039 हे वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर: [Signature]
नाम: शत्रुघ्न निवाड
संस्था: संस्था पंचायत करा
सी.पं.कोटा (छ.ग.)

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

[Signature]

संलग्न-ग्राम सभा का विवरण।

ग्राम सभा जाली की बैठक दिनांक 17/04/2018
का कार्यवाही विवरण

प्रदर्श- "ब"

ग्राम: जाली
स्थान: जाली

दिनांक 17/04/2018

आज दिनांक 17/04/2018 को ग्राम जाली के सरपंच श्री/श्रीमती उषा कश्यप की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 52 सदस्य 80% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम जाली में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु Nil हे. वन भूमि एवं 1.0814 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 1.0814 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	जाली	Nil	Nil

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि Nil हे. वन भूमि / 1.0814 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 1.0814 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर
नाम श्रीमती उषा कश्यप
सरपंच जाली
सील

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

सचिव
ग्राम पंचायत जाली
जनपद पंचायत कोटा

उषा कश्यप
सरपंच
ग्राम पंचायत जाली
जनपद पंचायत कोटा

जिनदार कदम
गजाली
सोरोधी
कोटा

प्रदर्श-“ब”

ग्राम सभा बेलतरा की बैठक दिनांक 30/04/2018
का कार्यवाही विवरण

ग्राम: बेलतरा
स्थान: ग्राम पंचायत भवन

दिनांक 30/04/2018

आज दिनांक 30/04/2018 को ग्राम बेलतरा के सरपंच श्री/श्रीमती भद्रेश्वर मरुआम की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 56 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम बेलतरा में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु निरंरु हे. वन भूमि एवं 0.4005 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 0.4005 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।


अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
—	—	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि निरंरु हे. वन भूमि / 0.4005 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.4005 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।


सरपंच
ग्राम पंचायत बेलतरा
ज.पं.वि.अ.जि.-बिलासपुर (छ.ग.)


सरपंच
ग्राम पंचायत बेलतरा
ज.पं.वि.अ.जि.-बिलासपुर (छ.ग.)
सील

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

बैठक कार्यवाही की जानकारी 2018

ग्राम सभा दिनांक 30/4/18
ग्राम पंचायत बेलतरा स्थान ग्राम पंचायत बेलतरा वि.ख. बिल्हा, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

उपस्थित सरपंच पंचों के नाम	विषय	बैठक कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव जो पास हुए	पंचों के हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान
<p>सरपंच श्री नवीन सिंह सरकास उपसरपंच श्री रोहित कुमार कौशिक</p> <p>पंचायत :- 1. श्रीमती निर्मला देवी मराठी 2. श्रीमती जनिता देवी गोंड 3. श्री कृष्ण कुमार यादव 4. श्री रामनारायण गोंड 5. श्री चंद्रलाल मराठी 6. श्रीमती प्रमिला देवी गोंड 7. श्रीमती संतोषी देवी गोंड 8. श्रीमती सरोज देवी केदार 9. श्री विल्की जायसवाल 10. श्रीमती कुंवारा देवी धीवर 11. श्री रामेंद्र कुमार सूरवंशी 12. श्रीमती गंधी देवी कश्यप 13. श्रीमती मनीषा देवी साहू 14. श्री सुरेंद्र कुमार कश्यप 15. श्रीमती रानी देवी जायसवाल 16. श्री सुखेलाल धीवर 17. श्रीमती उर्मिला देवी यादव 18. श्रीमती रुक्मिणी देवी सूर्य 19. श्री जितेंद्र कुमार सूरवंशी</p>	<p>क्रं० 2 बिलासपुर छरपोसे राज मार्ग में प्रभावित राजस्व वन भूमि के संबंध में</p>	<p>क्रं० 2 ग्राम दिनांक 30/4/2018 को ग्राम पंचायत बेलतरा में ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व समझति से निर्णय लिया गया कि बिलासपुर छरकोरा नलदीम राज मार्ग को रोज रोड चौराहा के अंतर्गत ग्राम बेलतरा प.स.नं. 06 रा.सि.मं. बेलतरा तह. बिलासपुर डे स्कान. 589/1, 911/1, 911/2 द्योटे साइड अंगल एवं बड़े साइड के अंगल, उपरीकत भूमि में किसी भी व्यक्ति को वनाधिकार पट्टा नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग डेच सुरक्ष भी उठाने से भी आपत्ति नहीं है।</p>	<p>सर्व समझति से प्रस्ताव पास किया गया।</p>	<p>सही</p>

शुभप प्रति लिपि

11/08/2018
सचिव
ग्राम पंचायत बेलतरा
वि.ख. बिल्हा, जि. - बिलासपुर (छ.ग.)

शुभप प्रति लिपि
ग्राम पंचायत बेलतरा
वि.ख. बिल्हा, जि. - बिलासपुर

ग्राम लिम्बा में श.श. मार्ग 111 (नया 130) के लिए
अधि शालि प्रभावित व्यक्तियों का नाम एवं रकबा

क्रां.क	नाम	पिलो/पति का नाम	राजपू. शालिनु.आ. आ.शालि. 2201 98 फीट	ख.नं.	टिप्पणी
1.	राजकुंवर	किरंगी थावन	30X50	293/2	
2.	खेमनाथ	राम	30X50	-	
3.	चिलर सिंह	शिवप्रसाद	30X30	-	
4.	धनसिंह	शतिराम	30X50	-	
5.	सुरज सिंह	महेतर सिंह	30X50	-	
6.	शुक्ला कुमार	आनंद राम	30X30	-	
7.	शोभा राम	चंदन सिंह	30X30	-	
8.	लज्जन सिंह	आनंद सिंह	30X30	-	
9.	कचरा बाई	स्व. धान सिंह	30X50	-	
10.	विमल कुमार	देवराज	30X50	-	
11.	दुबराज सिंह	रूप सिंह	30X50	-	
12.	स्मिथ कुलसिंह	मथाराम	30X50	-	
13.	रुपेन्द्र सिंह	आबुआराम	30X30	-	
14.	लखन लाल	शमाम लाल	30X50	-	
15.	बेहराम	धरम सिंह	30X30	-	
16.	जानकी प्रसाद	देवराज	30X30	-	
17.	शोभा राम	बोधन सिंह	30X50	-	
18.	कुमार सिंह	शमाम लाल	30X30	-	
19.	कौशल्या	किरंगी	30X50	-	
20.	शिव प्रसाद	गोकुल सिंह	30X30	-	
21.	हरी लाल	जीवन	30X50	-	
22.	हेतराम	चैन सिंह	30X30	-	

आशुवत्सुप्रसाद
सचिव
ग्राम पंचायत लिम्बा
जिला बिलासपुर

बैंठक कार्यवाही की जातकाशी 2018

ग्राम पंचायत लिम्हा स्थान ग्राम पंचायत लिम्हा वि.खं. बिल्हा, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. (2) उपस्थित सरपंच पंचो के नाम	(3) विषय	(4) बैंठक कार्यवाही का विवरण	(5) प्रस्ताव जो पास हुए	(6) पंचो के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
<p>श्री भागवत प्रसाद सार्थी सरपंच श्री रामखिलायन सोरोटे उपसरपंच</p> <p>पंचराज :- 1. श्रीमती मालती सोरोटे 2. श्री पुल सिंह औरकेरा 3. श्रीमती मंगवती टेकाम 4. श्रीमती सतवी औरकेरा 5. श्री चन्द्रभान सिंह टेकाम 6. श्रीमती रामा बाई टेकाम 7. श्रीमती ज्योति, सतवी 8. श्री ज्योति, सतवी 9. श्रीमती दुर्गाकुंवर सोरोटे 10. श्रीमती परखा कुसरो 11. श्री बहोरन दास माणिकपुरी 12. श्री दशरथ परधान 13. श्री भंवर सिंह सोरोटे 14. श्रीमती कवरा देवी मरवी 15. श्रीमती जमश्रीका सोरोटे 16. श्री शिवी कुमार सोरोटे 17. श्रीमती सरस्वती टेकाम 18. श्री पवन सिंह उदके 19. श्रीमती बंदिता परधान</p>	<p>क्र.क. 2 बिलासपुर कटकोरा गाविस गालगाडी साव 111 (मका 130) वारगेन एस.क बिलासपुर पंचायत गालगाडी पंच शासक के गालगाडी साव पंच के पंच</p>	<p>गुटाज दिनांक 18.4.2018 को पंचपंच श्री भागवत प्रसाद सार्थी के आयोजन में गाविस बिल्हा का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बिलासपुर-कटकोरा गाविस गालगाडी साव - 111 (मका 130) के सदस्यों को सि फायरवाली नञ्चारगेन सदस्यों निर्माण हेतु आवाजिया प.स. नं. 02 से आवाजिया विधानसभा 90 आवाजिया 299/2 वकाला 1.51 हेक्टर. श्री आवाजिया आवाजिया पट्टा 22 आयोजनों को है। उपरोक्त अर्जि में आवाजिया विधानसभा प.स. नं. अर्जि के निर्माण हेतु पंचायत आवाजिया के उपवाकाला बिलोने पर 4505 आयोजन हेतु निर्णय करके आवाजिया के</p>	<p>अ.ह. प्रसाद उपस्थित सदस्यों की संख्या 11/11 गालगाडी साव पंचायत</p>	<p>श्रीमती</p>

आवाजिया पंचायत
बिलासपुर
आवाजिया पंचायत
बिलासपुर
18-11-2018

दैनिक की कार्यवाही

सरपंच
शिवदुलारी मरकाम

ग्राम पंचायत कोरवी जनपद पं. विकास खण्ड धिला तह.य जिला-विलासपुर (छ.ग.)

उपसरपंच
वृजलाल मरकाम

क्र.	विषय	दैनिक की कार्यवाही	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचो का हस्ताक्षर
पंचो का नाम श्रवण सिंह जगत जग चाई मरकाम राजेश्वरी मरकाम शारादा चाई कोरम कोशिल्या चाई कोरम रामेश्वरी उईके अहिल्या चाई सांरठे अनंतराम मराठी त्रिवेणी चाई कंवर शिवनारायण यादव	प्रस्ताव क्रमांक-५६ विलासपुर-कटस्थीप्रा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० १११ (नं०-१३०) नगर लेन स्टक निर्माण हेतु प्रअक्ति राजस्व वन भूमि के अनापत्ति पत्राण पत्र है।	आज दिनांक-१७-०५-२०१८ को संधीच क्षी- शिवदुलारी मरकाम के उत्तरदायता से ग्राम सभा वर्क का आयोजन किया गया, जिससे उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विलासपुर-कटस्थीप्रा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-१११ (नं०-१३०) में पेंड्रीड्रीह से परागापाली तक नगर लेन स्टक के निर्माण हेतु गांव-कोरवी ए००६० नं०-१ से आदिजादि राजस्व वन भूमि खसरा नं०-२/१, रकबा-०.०३६० कुल रकबा- ०.०३ हे. राजस्व वन भूमि उत्तरांचल की जाती है। उपरोक्त राजस्व वन भूमि से वन अधिकार आदि नियम के अतिक्रम संभ संशुद्धिक रूप में किसी प्रकार का पट्टा नहीं दिया गया है और ना ही राष्ट्रीय राजमार्ग के आवागमन में किसी प्रकार से कोई बाधा है।	प्रस्ताव जो पास हुआ प्रस्ताव से सम्बन्धि के पारित हुआ	श्रि [Signature]

सरपंच
ग्राम पंचायत कोरवी
वि.सं. जिला, वि. विलासपुर (छ.ग.)

सरपंच
[Signature]
[Signature]
ग्राम पंचायत कोरवी
वि.सं. जिला, वि. विलासपुर (छ.ग.)



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर

Office of Project Director Project Implementation Unit, Bilaspur

डी.-61, एच.आई.जी.- I, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)

D-61, HIG-I, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.)

दूरभाष : 07752-291604, Phone : 07752-291604 Email : piubilaspur@nhai.org, nhaibilaspur@gmail.com, Web : www.nhai.gov.in



13013/3/2021/PD-BSP/BSP-PATHRAPALI/FOREST/ 9613

Date: 01/08/2022

To,

The Division Forest Officer,
Bilaspur Forest Division
District-Bilaspur, (C.G.)

Sub:- 4-Laning of Bilaspur-Pathrapali from Km. 0+000 to Km. 53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala on Hybrid Annuity mode: Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Ref:- 1. Regional Office Nagpur letter no F.No. FC-II/CJ-89/2018-NGP/4979 dated 14.02.2019.
2. PD Bilaspur letter no 3881 dated 04.06.2019.
3. DFO Bilaspur letter no 5377 dated 29.10.2021.
4. PD Bilaspur letter no 9201 dated 14.05.2022.
5. DFO Bilaspur letter no 3726 dated 06.07.2022.
6. PD Bilaspur letter no 9510 dated 24.07.2022.
7. PD Bilaspur letter no 9581 dated 27.07.2022.

Sir,

Please refer this office letters cited above seeking Stage-II clearances for the mentioned project. This office vide letter no 3881 dated 04.06.2019 had submitted compliances with undertakings. The undertakings are resubmitted in the desired format.

2. Further as per your subsequent demand, an amount of Rs 8,36,700/- for eco friendly retroreflecto rized signboards and Rs 33,63,215 for avifauna scheme were already deposited to Forest Department and intimated to this office letter no 9581 dated 27.07.2022 & letter n 9201 dated 14.05.2022 (Copy enclosed).

3. In view of above and since this office has already complied w.r.t. Stage-II requirements, it is requested that Stage-II Clearances be issued soon. Further, it is to submit that the matter is being regularly reviewed at various level of NHAI, MoRT&H and MoEF&CC.

Encl:- As above.

Yours Faithfully


Project Director
PIU Bilaspur

Copy to:-

1. APCCF (Land Management), Aranya Bhavan, State Forest Department, Raipur.
2. Chief Conservator of Forest, Bilaspur circle.
3. The Regional Officer, CG National Highways Authority of India, F-1, Anupam Nagar, TV Tower Road, Raipur-492006.

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No.:- (i) Legal status of the forest land shall remain unchanged.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No.:- (ii) Compensatory afforestation over the degraded forest land twice in extent to the forest land being diverted, shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022



Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No.:- (iii) The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No.:- (iv) The State Government shall charge the Net Present value (NPV) for the Forest land being diverted under the proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008, and 09.05.2008 in W.P. (Civil) No 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters no 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022



Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No.:- (v) At the time of payment of the Net Present Value (NPC) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No.:- (vi) All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/demarcation of safety zone, shall be transferred CAMPA through e-challan in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned;

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No.:- (vii) State Government shall take appropriate action against the violation as per the provisions of MoEF&CC's guidelines dated 29.01.2018 and penal NPV shall be charged accordingly. A detail report in this regard shall be submitted along with the compliance report

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (viii) The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (ix) The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022



Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (x) The User Agency shall arrange to raise strip plantation on either side of the road and central verge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 years.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xi) Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022



Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xii) The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022



Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xiii) Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022



Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xiv) The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainages as per requirement to make the slope stable;

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022



Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xv) The User Agency shall prepare and implement a comprehensive Soil Conservation Plan in the forest area being in consultation with the State Forest Department at the project cost. A plan on the same shall be submitted along with the compliance report of the Stage-I approval;

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022



Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xvi) The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water logging, and also does not hamper movement of wild animals.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xvii) No labour camp shall be established on the forest land.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xviii) The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022



Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xix) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022



Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xx) The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xxi) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022



Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xxii) No damage to the flora and fauna of the adjoin area shall be caused;

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022



Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xxiii) The existing carriageway in the forest area, in the patches corresponding to re-alignments, shall be dismantled and land shall be handed over back to the State Forest Department. A reclamation plan by planting suitable species of trees be prepared in consultation with the Forest Department and the amount so required will be deposited with the forest department by the user agency for taking up reclamation of the area. Exact extant of area to be recovered may be reported. A copy of plan so prepared shall be submitted to Regional Office, Nagpur.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022



Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xxiv) Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xxv) The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:- (xxvi) Complete compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 shall be submitted in accordance with the provisions of the MoEF&CC's Guidelines dated 05.07.2013 and documentary evidences in support of settlement of rights as stipulated in clause (a) of the Form-I annexed to the MoEF&CC's advisory dated 05.07.2013 viz copies of records of meetings and consultations with the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub Divisional Level Committee shall be submitted before Stage-II approval.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:-(xxvii) The User Agency shall submit six monthly self compliance report as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State;

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022



Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:-(xxviii) The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year;

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:-(xxix) Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:-(xxx) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project; and

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh

Name of Proposal:- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh-Reg.

Condition No:-(xxxi) Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC;s Guidelines dated 28.08.2015.

-----00-----

UNDERTAKING

I Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur, Chhattisgarh hereby undertake to abide by the above condition imposed.

Date: 01.08.2022


Project Director
PIU-Bilaspur, Chhattisgarh



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर

Office of Project Director Project Implementation Unit, Bilaspur

डी.-61, एच.आई.जी.- I, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)

D-61, HIG-I, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.)

दूरभाष : 07752-291604, Phone : 07752-291604 Email : piubilaspur@nhai.org, nhaibilaspur@gmail.com, Web : www.nhai.gov.in



13013/3/2021/PD-BSP/BSP-PATHRAPALI/FOREST/ 9581

Date: 27/07/2022

To,

The Division Forest Officer,
Bilaspur Forest Division
District-Bilaspur, (C.G.)

Sub:- 4-Laning of Bilaspur-Pathrapali from Km. 0+000 to Km. 53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala on Hybrid Annuity mode: Diversion of Forest Land in the Bilaspur Forest Division for Rehabilitation and Upgrading to 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh Demand Note for Avifauna Scheme- Reg.

Ref:- 1. Divisional Forest Officer, Bilaspur letter no 5417 dated 02.11.2021.
2. This office letter no 8755 dated 03.02.2022.
3. This office letter no 9144 dated 05.05.2022.
4. This office letter no 9302 dated 07.06.2022.
5. Divisional Forest Officer, Bilaspur letter no 3726 dated 06.07.2022.
6. This office letter no 9510 dated 14.07.2022.

Sir,

As per your subsequent communication vide letter no 3726 dated 06.07.2022 and as desired, therein, this office has already provided an undertaking to the effect vide this office letter no 9510 dated 14.07.2022.


2. Further, a payment of Rs 33,63,215/- bearing NEFT no. AXIC222073195242 dated 26.07.2022 released to the designated CAMPA fund account.

3. You are accordingly requested for early needful action in providing Stage-II Clearances to this office please.

Thanking You

Encl:- As above.

Yours Sincerely


Project Director
PIU Bilaspur

Copy to:-

1. APCCF (Land Management), Aranya Bhavan, State Forest Department, Raipur.
2. Chief Conservator of Forest, Bilaspur circle.
3. GM (Environment) NHAI HQ.
4. Sh. Kirti Singh, Joint Advisor (Plantation), NHAI-RO, Raipur, F-1, Anupam Nagar, TV Tower Road, Raipur-492006 (C.G.).

[स्वच्छ रहे भारत, स्वच्छ रहें हम,]

PIU-BSP/PIU Bilaspur/13013-5-Bilaspur-Pathrapali/Adani



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority Of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बिलासपुर

Office of Project Director Project Implementation Unit, Bilaspur

डी-61, एच.आई.जी.-1, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे तिरुता, बिलासपुर (छ.ग.)

D-61, HIG-1, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tiruta, Bilaspur (C.G.) 495001

दूरभाष : 07752-291604

Phone : 07752-291604

Email: piubilaspur@nhai.org

Email : piubilaspur@gmail.com

Web : www.nhai.gov.in



भारतमाला
प्रगति के पथ पर आज़मा

13013 / 3 / 2022 / प.नि.-बिला. / बिला.-पथरापाली / वन / 9201

दिनांक 14.05.2022

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल बिलासपुर,
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।

Sub:- 4-Laning of Bilaspur-Pathrapali from Km. 0+000 to Km. 53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala on Hybrid Annuity mode: Diversion of Forest Land in the Bilaspur Forest Division for Rehabilitation and Upgrading to 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh: Demand Draft-reg.

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 5377 दिनांक 29.10.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा बिलासपुर-पथरापाली सड़क रा.रा. संख्या 111 (नया 130) मार्ग निर्माण के अंतर्गत MoEF&CC द्वारा linear Infrastructure हेतु कुल 30 नग signages/signboards लगाने हेतु डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रू0 8,36,700/- (आठ लाख छत्तीस हजार सात सौ रू.) की मांग की गई थी।

2. अतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारा रू0 8,36,700/- (आठ लाख छत्तीस हजार सात सौ रू.) का डिमांड ड्राफ्ट वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर के नाम पर जारी कर आपकी ओर सादर प्रेषित की जा रही है।

सधन्यवाद।

संलग्न:- डिमांड ड्राफ्ट।

भवदीय

गौरांग देवघरे

(गौरांग देवघरे)

प्रबंधक (तक.)

प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.), रायपुर, छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
3. उपमंडलाधिकारी, बिलासपुर उपमंडल बिलासपुर को सादर सूचनार्थ
4. परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075, दूरभाष : 011-25074100 / 200

H.Q. : G-5&6, Sector-10 Dwarka, New Delhi-110075, Telephone No. : 011-25074100 / 200

[स्वच्छ रहे भारत, स्वच्छ रहें हम,]

केनरा बैंक  Canara Bank

जी.ई. रोड, रायपुर - 492 006
G. E. ROAD, RAIPUR - 492 006 (2555)
025553011854 345342

Valid for three months only from the date of instrument

CB 12052022

RAIPUR BUSINESS FORMBCTS-2010

मांगने पर On Demand Pay
DIVISIONAL FOREST OFFICER HILASPUR
रुपये Rupees
EIGHT LAKH THIRTY SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED ONLY

को या उनके आदेश पर Or Order प्राप्त मूल्य के लिए

अदा करें For Value Received ₹ 8,36,700.00


Purchaser Name: NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
*****NOT OVER Rs.8,36,700.00

केनरा बैंक Canara Bank

एकता देहरिया
EKTA DEHARIYA
S.P. NO.- 73047

BILASPUR(191)
DRAWEE BRANCH D. P. CODE

Geetanjali Verma
गीतानजली वर्मा
GEETANJALI VERMA
S.P. No. 76191



प्रामाणिक हस्ताक्षर करें
AUTHO SIGNATORY NAME DESIGNATION S.P. No.

₹ एक लाख और उससे अधिक धीमांड ड्राफ्ट के लिए दो प्रामाणिक हस्ताक्षरकों की आवश्यकता है।
Demand Drafts of ₹ 1 Lakh and above require signature of two authorised signatories.
Please sign above

⑈ 345342⑈ 000015000⑈ 852555⑈ 16



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर

Office of Project Director Project Implementation Unit, Bilaspur

डी-61, एच.आई.जी.-1, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)

D-61, HIG-1, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.)



दूरभाष : 07752-291604, Phone : 07752-291604 Email : piubilaspur@nhai.org, nhaibilaspur@gmail.com, Web : www.nhai.gov.in

13013 / 3 / 2022 / प.नि.-बिला. / बिला.-पथरापाली / वन / 9510

दिनांक 14.07.2022

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल बिलासपुर,
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।

Sub:- 4-Laning of Bilaspur-Pathrapali from Km. 0+000 to Km. 53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala on Hybrid Annuity mode: Diversion of Forest Land in the Bilaspur Forest Division for Rehabilitation and Upgrading to 04 Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh: Undertaking-reg.

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3726 दिनांक 06.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा बिलासपुर-पथरापाली सड़क रा.रा. संख्या 111 (नया 130) मार्ग निर्माण के अंतर्गत MoEF&CC द्वारा Avifauna Scheme हेतु राशि 33,63,215/- रु. कैपा फंड के माध्यम से ऑनलाईन जमा करने एवं वरिष्ठ कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), नवा रायपुर के अनुमोदन के पश्चात् उक्त राशि में किसी भी प्रकार की भिन्ता (वृद्धि या कमी) होने की स्थिति में शेष राशि के लिए वचन पत्र जमा करने हेतु इस कार्यालय को लेख किया गया है।

2. अतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.का.ई. बिलासपुर द्वारा वचन पत्र आपकी ओर सादर प्रेषित की जा रही है।

सधन्यवाद।

भवदीय

संलग्न:- वचन पत्र।


परियोजना निदेशक
प.का.ई., बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.), रायपुर, छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।

[स्वच्छ रहे भारत, स्वच्छ रहें हम,]



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर

Office of Project Director Project Implementation Unit, Bilaspur

डी.-61, एच.आई.जी.- 1, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)

D-61, HIG-I, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.)

दूरभाष : 07752-291604, Phone : 07752-291604 Email : piubilaspur@nhai.org, nhaibilaspur@gmail.com, Web : www.nhai.gov.in



UNDERTAKING

I, Ajay Kumar Dhal, Project Director, PIU-Bilaspur, NHAI hereby undertake to comply with requirement of variation amount if any towards implementation of Avifauna Scheme for statutory compliance of Stage-I Clearance of Bilaspur Pathrapali Project.

Date 14.07.2022.


Project Director
PIU Bilaspur

[स्वच्छ रहे भारत, स्वच्छ रहें हम,]

PIU-BSP/PIU Bilaspur/13013-5-Bilaspur-Pathrapali/Adani

कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

[OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082]

[e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com]

क्रमांक/तक./ 3726

बिलासपुर, दिनांक 06/07/2022

प्रति,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण,
अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड,
बिलासपुर (छ0ग0)

विषय :-

4-laning of Bilaspur to Pathrapali from Km. 53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the State of C.G. under Hybrid Annuity Mode- Diversion of Forest Land in the Bilaspur Forest Division for Rehabilitation and Upgrading to 4-lane with paved shoulder configuration of Bilaspur-Katghora section of NH-111 in the State of C.G. (Request for demand Note-Reg.

संदर्भ :-

1. इस कार्यालय का पत्र क्र./तक./5417 दिनांक 02.11.2021
2. इस कार्यालय का पत्र क्र./तक./5898 दिनांक 02.12.2021
3. इस कार्यालय का पत्र क्र./तक./3229 दिनांक 13.06.2022
4. आपका पत्र क्र./8755 दिनांक 03.02.2022

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। एवीफौना योजना का प्राक्कलन राशि रु. 3363215/- का प्रस्ताव संदर्भ क्र. 02 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है, जिसके अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इसके तारतम्य में लेख है कि संदर्भ क्र. 01 द्वारा आपको जारी किये गये मांग पत्र राशि रु. 3363215/- को कैम्पा मद में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करें। वरिष्ठ कार्यालय से अनुमोदन की प्रक्रिया के दौरान उक्त राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या कमी होने की स्थिति में अतिरिक्त राशि आपके द्वारा जमा करने बाबत वचन पत्र इस कार्यालय में जमा करें।

संलग्न :- शून्य।

पृ.क्रमांक/तक./ 3727

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।



D:/MS Word/Office L-18

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

455

कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

[OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082]

[e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com]

क्रमांक/तक./5377

बिलासपुर दिनांक 29/10/2021

प्रति,

परियोजना निर्देशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग,
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई,
बिलासपुर डी-61 एच.आई.जी.-1
(आकाश) अभिलाषा परिसर
नया बस स्टैण्ड के पीछे
तिफरा बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- 4-Laning of Bilaspur-Pathrapali (Km. 0+000 to Km. 53+300) section of NH-111 (New NH-130) in the state of chhattisgarh under Bharatmala on hybrid Annuity mode Diversion of forest land in the Bilaspur Forest Division for Rehabilitation and Upgrading to 4-lane with paved shoulder configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of chhattisgarh: Request for demand Note- reg.

संदर्भ :- 1. उपवनमंडलाधिकारी, बिलासपुर उपवनमंडल का पृ.क्र./1584 दिनांक 04.10.2021
2. आपका पत्र क्र./13013/3/2020/PD-BSP/BSP-PATHRAPALI/FOREST/8214 दिनांक 04/10/2021

—00—

विषयांतर्गत बिलासपुर-पथरापाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) मार्ग निर्माण अंतर्गत MoEF & CC's द्वारा Linear Infrastracutre जैसे की रोड में वन्यप्राणियों की दुर्घटना रोकने हेतु Signages/Signboards लगाने हेतु संयुक्त जांच निरीक्षण प्रतिवेदन उपवनमंडलाधिकारी बिलासपुर के संदर्भ क्र. 02 द्वारा प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर 12 स्थानों का चयन किया गया जिसमें कुल 30 नग Signages/Signboards लगाने हेतु राशि मांग पत्र निम्नानुसार है :-

क्र.	बोर्ड का प्रकार	साईज	मात्रा	दर	राशि
1	Eco friendly Retroreflecto- rized Signboard	1.20 M X 1.80 M	30	27890.00	836700.00

राशि रू. 836700/- (रू. आठ लाख छत्तीस हजार सात सौ मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट वनमंडलाधिकारी बिलासपुर के नाम देय, जमा करें।

संलग्न :- शून्य।

पृ.क्र./तक./5378
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध/व.सं.अ.), छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्र./17 दिनांक 15.09.2021 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. उपवनमंडलाधिकारी, बिलासपुर उपवनमंडल बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
4. परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)
दिनांक 29/10/2021

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक 29.10.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्र./FC-II/CH-89/2018-NGP/4979 दिनांक 14.02.2019 द्वारा बिलासपुर-पथरापाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) मार्ग निर्माण हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति जारी की गयी है। स्वीकृति के बिंदु क. XXV अंतर्गत एवीफौना योजना प्रतिवेदन तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाना है। इसके परिपालन में एवीफौना प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कार्यालयीन आदेश क्र./स्था/250 दिनांक 28.10.2021 द्वारा उपवनमंडलाधिकारी, बिलासपुर की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया।

बैठक में निम्नांकित अधिकारी उपस्थित रहे :-

01. उपवनमंडलाधिकारी, बिलासपुर, 02 उपवनमंडलाधिकारी, कोटा
03. परिक्षेत्र अधिकारी, बिलासपुर, 04 परिक्षेत्र अधिकारी, रतनपुर, 05 परिक्षेत्र अधिकारी, तखतपुर

संयुक्त समिति द्वारा एवीफौना योजना का प्राक्कलन प्रतिवेदन तैयार कर वनमंडलाधिकारी बिलासपुर के समक्ष दिनांक 29.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्राक्कलन प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	Green Belt Development	1 Km	1,288,215.00	1,288,215.00
2	Artificial Roosts/nests	60	5,000.00	300,000.00
3	Signages	23	25,000.00	575,000.00
4	कोपरा जलाशय (Habitat Improvement)	L.S.	L.S.	1,000,000.00
5	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं डीपीआर तैयार करना	L.S.	L.S.	200,000.00
	योग :-			33,63,215.00

उपरोक्तानुसार प्राक्कलन का परीक्षण किया गया तथा संयुक्त समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राक्कलन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।

पृ.क्र./तक./5379
प्रतिलिपि:-

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर(छ.ग.)
दिनांक 29/10/2021

1. निपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध/व.स.अ). छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. उपवनमंडलाधिकारी, बिलासपुर/कोटा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी, बिलासपुर/रतनपुर/तखतपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

online ack

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर(छ.ग.)


विलासपुर-पथरापाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) मार्ग निर्माण योजना अंतर्गत
एवीफौना योजना का परियोजना का प्राक्कलन प्रतिवेदन


अ.क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	Green Belt Developement	1 Km	1,288,215.00	1,288,215.00
2	Artificial Roosts/nests	60	5,000.00	300,000.00
3	Signages	23	25,000.00	575,000.00
4	कोपरा जलाशय (Habitat Improvement)	L.S.	L.S.	1,000,000.00
5	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं डीपीआर तैयार करना	L.S.	L.S.	200,000.00
योग-				3,363,215.00


वनपरिक्षेत्राधिकारी
तखतपुर (छ.ग.)


वनपरिक्षेत्राधिकारी
रतनपुर (छ.ग.)


वनपरिक्षेत्राधिकारी
विलासपुर (छ.ग.)


उप वनमण्डलाधिकारी
विलासपुर (छ.ग.)


वनमण्डलाधिकारी
विलासपुर वनमण्डल विलासपुर (छ.ग.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority Of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिलासपुर

Office of Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur

डी-61, एच.आई.जी.-1, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैंड के पीछे तिफ्त, बिलासपुर (छ.ग.)

D-61, HIG-1, Abhilasha Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur (C.G.) 495001

दूरभाष : 07752-291604

Phone : 07752-291604

Email : piubilaspur@nhai.org

Email : picbilaspur@gmail.com

Web : www.nhai.gov.in



भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर

13013/3/2018/PD-BSP/BSP-KATGHORA/FOREST/3881

Date: 04.06.2019

To,

Divisional Forest Officer
Bilaspur Forest Division
Bilaspur

Sub.- 4-laning of Bilaspur to Pathrapali from Km.0+000 to Km.53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh in the State of Chhattisgarh under Hybrid Annuity Mode - Diversion of Forest Land in the Bilaspur Forest Division for Rehabilitation and Upgrading to 4- Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur- Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh : Submissions of undertakings - Reg.

Ref.- Regional Office, Nagpur letter no FC-II/Ch-89/2018-NGP/4979 dated 14/02/2019

Please take reference of Regional Office, Nagpur letter dated 14/02/2019 vide which Stage-I clearance for Diversion of Forest Land in the Bilaspur Forest Division for an area of 24.585 Hectare for the work of 4-laning of Bilaspur to Pathrapali from Km.0+000 to Km.53+300 (Package-I) section of NH-111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh under Hybrid Annuity Mode is conveyed.

2. Further, CCF, Bilaspur during meeting with PD-Bilaspur conveyed regarding submission of undertakings in respect to all conditions stipulated in aforementioned Regional Office, Nagpur letter no FC-II/Ch-89/2018-NGP/4979 dated 14/02/2019.

3. Accordingly, poynywise compliance to conditions stipulated in Regional Office, Nagpur letter no FC-II/Ch-89/2018-NGP/4979 dated 14/02/2019 is produced as below:-

Sr. No.	Conditions	Undertaking/ compliance
i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-1)
ii	Compensatory Afforestation over the degraded forest land, twice in extent to the forest land being diverted, shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency.	आवंदित वन भूमि 24.585 हे. के विरुद्ध 51.000 हे. में रु.7,26,270/- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वर्तमान मजदूरी दर के अनुसार नवीन दर से कुल राशि रु.3,70,39,770/- कैम्पा मद में जमा किया जा चुका है। (अनुलग्नक-2)
iii	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the Compensatory Afforestation, at the current wage rate to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedules for subsequent years.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-3)
iv	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No.202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No.5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-4)
v	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-5)

PII-BSP/PII Bilaspur/13013-Bilaspur-Katghora/13013-3-Forest

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075, दूरभाष : 011-25074100 / 200

H.Q. : G-5&6, Sector-10 Dwarka, New Delhi-110075, Telephone No. : 011-25074100 / 200

vi	All the funds received from the User Agency under the project, except the funds realized for regeneration/demarcation of safety zone, shall be transferred, CAMPA through e-challan in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned.	आवेदित वन भूमि 24.585 हे. के विरुद्ध वनमंडलाधिकारी मांग के अनुसार प्रत्याशा शुल्क कि राशि रु.1,53,90,210 /- कैम्पा मद में जमा किया जा चुका है। (अनुलग्नक-6)
vii	State Government shall take appropriate action against the violation as per the provisions of MoEF&CC's guidelines dated 29.01.2018 and penal NPV shall be charged accordingly. A detail report in this regard shall be submitted along with the compliance report.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-7)
viii	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	आवश्यकता नहीं है।
ix	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-8)
x	The User Agency shall arrange to raise strip planation on either side of the road and central verge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 years.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-9)
xi	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-10)
xii	The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-11)
xiii	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-12)
xiv	The User Agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-13)
xv	The User Agency shall prepared and implement a comprehensive Soil Conservation Plan in the forest area being in consultation with the State Forest Department at the project cost. A plan on the same shall be submitted along with the compliance report of the Stage-I approval.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-14)
xvi	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals will be done in such manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to waterlogging, and also does not hamper movement of wild animals	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-15)
xvii	No labour camp shall be established in Forest area.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-16)
xviii	The User Agency will provide fuels preferably alternate fuels to the labourers of Concessionaire to avoid any	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है।

James

	damage to nearby forest areas.	(अनुलग्नक-17)
xix	The Forest land shall not be used for any other purpose than specified in Forest proposal.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-18)
xx	The Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-19)
xxi	The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of Central government.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-20)
xxii	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-21)
xxiii	The existing carriageway in the forest area, in the patches corresponding to re-alignments, shall be dismantled and land shall be handed over back to the State Forest Department. A reclamation plan by planting suitable species of trees be prepared in consultation with the Forest Department and the amount so required will be deposited with the forest department by the NHAI for taking up reclamation of the area. Exact extant of area to be recovered may be reported. A copy of plan so prepared shall be submitted to Regional Office, Nagpur.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-22)
xxiv	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the state forest department.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-23)
xxv	The User Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-24)
xxvi	Complete compliance of Schedules Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 shall be submitted in accordance with the provisions of the MoEF&CC's Guidelines dated 05/07/2013 and documentary evidences in support of settlement of rights as stipulated in Clause (a) of the Form-I annexed to the MoEF&CC's advisory dated 05/07/2013 viz. copies of records of meetings and consultations with the Forest Right Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Divisional Level Committee shall be submitted before Stage-II approval.	इस कार्यालय द्वारा सहमति दी गयी है। (अनुलग्नक-25)
xxvii	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1 st January and 1 st July of every year Regional Officer, Nagpur as well as State Forest Department, Chhattisgarh.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-26)
xxviii	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regards yearly report as on 31 st December of every year.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-27)
xxix	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-28)

forwards

	forests & wildlife.	
xxx	NHAI and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.	इस कार्यालय का सहमति पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-29)
xxxi	Grant of working permission to the extant proposal should be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28/08/2015.	-

4. This is for your kind information & necessary action.

Thanking you.

Yours Faithfully,

Narendra Singh
(Narendra Singh)
Project Director
PIU, Bilaspur

Copy to:-
Chief Conservator of Forest, Bilaspur circle.



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS &
CLIMATE CHANGE

Regional Office (WCZ)
Ground Floor, East Wing
New Secretariat Building
Civil Lines, Nagpur - 440001
apccfcetral-ngp-mef@gov.in

F. No. FC-II/CH-89/2018-NGP/4979

Dated: 14th February, 2019

✓ To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Chhattisgarh,
Forest Department,
Mantralaya, Mahanadi Bhavan,
New Raipur (CG).

Sub: Diversion of 24.585 ha of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4- Lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur - Katghora Section of NH-111 in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh – regarding.

Sir,

I am directed to refer to the State Government of Chhattisgarh's letter no. F-5-31/2018/10-2 dated 18.09.2018 on the above subject seeking prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 and Addl. PCCF & Nodal Officer (FCA), Government of Chhattisgarh's letter no. *Bhu-Prabandh/Vividh/115-737/3462* dated 12.10.2018, *Bhu-Prabandh/Vividh/115-737/4218* dated 22.12.2018 and forwarding additional information as desired by Regional Office vide letters of even number dated 26.09.2018 and 18.10.2018 to say that the said proposal has been examined and approved by the Regional Empowered Committee constituted under Section - 4 of the Forest (Conservation) Act, 1980.

After careful examination of the proposal of the State Government and on the basis of the approval of the proposal by the Regional Empowered Committee, the Central Government hereby accords 'in-principle' approval under Section - 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 24.585 ha of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4- Lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur - Katghora Section of NH-111 in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh, subject to the fulfilment of the following conditions:

- i. Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;
- ii. Compensatory afforestation over the degraded forest land, twice in extent to the forest land being diverted, shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency;
- iii. The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;
- iv. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard;
- v. At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;
- vi. All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred CAMPA through e-challan in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned;

estange

- vii. State Government shall take appropriate action against the violation as per the provisions of MoEF&CC's guideline dated 29.01.2018 and penal NPV shall be charged accordingly. A detail report in this regard shall be submitted along with the compliance report.
- viii. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;
- ix. The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;
- x. The user agency shall arrange to raise strip plantation on either side of the road and central verge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 years.
- xi. Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.
- xii. The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.
- xiii. Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.
- xiv. The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable;
- xv. The User Agency shall prepare and implement a comprehensive Soil Conservation Plan in the forest area being in consultation with the State Forest Department at the project cost. A Plan on the same shall be submitted along with the compliance report of the Stage-I approval;
- xvi. The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals.
- xvii. No labour camp shall be established on the forest land;
- xviii. The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;
- xix. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;
- xx. The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.
- xxi. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;
- xxii. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;
- xxiii. The existing carriageway in the forest area, in the patches corresponding to re-alignments, shall be dismantled and land shall be handed over back to the State Forest Department. A reclamation plan by planting suitable species of trees be prepared in consultation with the Forest Department and the amount so required will be deposited with the forest department by the user agency for taking up reclamation of the area. Exact extent of area to be recovered may be reported. A copy of plan so prepared shall be submitted to Regional Office, Nagpur.
- xxiv. Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;
- xxv. The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests


sbny

artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;

- xxvi. Complete compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 shall be submitted in accordance with the provisions of the MoEF&CC's Guidelines dated 5.07.2013 and documentary evidences in support of settlement of rights as stipulated in clause (a) of the Form-I annexed to the MoEF&CC's advisory dated 5.07.2013 viz. copies of records of meetings and consultations with the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Divisional Level Committee shall be submitted before Stage-II approval.
- xxvii. The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State;
- xxviii. The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year;
- xxix. Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;
- xxx. The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project; and
- xxxi. Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28.08.2015.

After receipt of a satisfactory compliance report from the State Government in respect of conditions no. (iii), (iv), (vi), (vii), (xv), (xxiii), (xxv) (xxvi) and undertakings in respect of all other conditions, duly authenticated by the competent authority in the State Government, the proposal will be considered for grant of Stage-II approval under the Forest (Conservation) Act, 1980.


Yours faithfully,



(Dr. E. Arockia Lenin)
Scientist 'C'

Copy to:

1. The PCCF, Government of Chhattisgarh, Raipur
2. The Nodal Officer FCA), O/o of the PCCF, Government of Chhattisgarh, Raipur.
3. Director (RoHQ), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi.
4. User Agency.
5. Guard File.



(Dr. E. Arockia Lenin)
Scientist 'C'